



Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक
Human Resource Management Department / मानव संसाधन प्रबंध विभाग
Guwahati / गुवाहाटी

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी की आवश्यकताओं के अनुसार कॉल के आधार पर कार उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर लेने वाली एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी ऑपरेटर्स के पैनल में शामिल होने के लिए ई-निविदा

ई-निविदा नं: [आर.बी.आई/गुवाहाटी/मासंप्रावि/4/24-25/ET/104](#)

ई-निविदा संख्या आर.बी.आई/गुवाहाटी/मासंप्रावि/4/24-25/ET/104 दिनांक 28 जून 2024 के संदर्भ में, वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पान बाज़ार, गुवाहाटी पर 12 जुलाई 2024 को 14:30 बजे एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बैंक और संभावित निविदाकारों के प्रतिभागियों की सूची नीचे दी गई है:

i. बैंक अधिकारी:

क्र.सं.	नाम	पद का नाम
1	सुश्री जीनिया बरुआ	सहायक महाप्रबंधक
2	श्री उदित जयसवाल	सहायक प्रबंधक
3	श्री अभिषेक शुक्ला	सहायक
4	श्री जितुल हाज़ोवरी	सहायक

ii. संभावित निविदाकारों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	एजेंसी/फर्म/कंपनी का नाम
1	श्री सफीउर रहमान श्री मनुज कुमार सैकिया	यात्रा नॉर्थ ईस्ट 24x7

2. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रश्न/प्रस्ताव	बैंक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण
1	क्या निविदा ऑफलाइन जमा की जा सकती है?	नहीं, निविदा प्रक्रिया एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑफलाइन प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज़ अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
2	क्या प्रदान किए गए वाहन में निजी नंबर प्लेट हो सकती है?	नहीं, वाहनों को वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होने की आवश्यकता है।

3	निविदा के लिए आवश्यक वाहनों की न्यूनतम संख्या।	बोलीदाता, निविदा दस्तावेज के भाग-1 (तकनीकी बोली) के पैरा 1.16(iii) का संदर्भ ले।
---	--	--

3. उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी संभावित निविदाकारों की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा बनेंगे। इसलिए, इसे निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित बाकी नियम और शर्तें और विशिष्टताएं वही रहेंगी। फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना ऊपर दिए गए बोली दस्तावेज और स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
उत्तर पूर्वी राज्य**